भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3003

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

वारंगल में स्मार्ट शहर पहल

+3003. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वारंगल में स्मार्ट शहर पहलों की स्थिति क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति समुदायों हेतु वहनीय आवास के लिए किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी योजना में जन भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत, तेलंगाना राज्य में, 02 शहरों, अर्थात ग्रेटर वारंगल और करीमनगर का चयन किया गया था। राज्य द्वारा 01.12.2025 को दी गई सूचना के अनुसार, ग्रेटर वारंगल स्मार्ट सिटी में 1800 करोड़ रू. की कुल 119 परियोजनाओं में से 1498 करोड़ रू. की राशि की 103 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 87%) पूरी की जा चुकी हैं और 302 करोड़ रू. की शेष 16 परियोजनाएं चल रही हैं।

(ख) भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, एससीएम का उद्देश्य पूरे शहर का विकास करना नहीं था, बल्कि रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड विकास और एक पैन-सिटी पहल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण का अनुपालन था, जिसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करने वाले स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं, ताकि एक प्रतिकृति करने योग्य मॉडल बनाया जा सके।

(ग) शहरों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) की योजना बनाई गई है। एससीएम दिशानिर्देशों के अनुसार, शहर स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श और सहयोग को संभव बनाने के लिए जिला कलेक्टर, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, महापौर, विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय युवा प्रतिनिधित्व, तकनीकी विशेषज्ञ आदि को शामिल करते हुए स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच (एससीएएफ) की स्थापना का प्रावधान है।

******